LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh **Director**

Narad Prasad Kimothi Sunita Arora Joint Director

Sunita Thapliyal **Editor**

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka) No. 2, Tuesday, July 19, 2022/Ashadha 28, 1944 (Saka)

SUBJECT	<u>PAGES</u>				
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS					
*Starred Question Nos. 21 and 22	8-14				
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS					
Starred Question Nos. 23 to 40	15-71				
Unstarred Question Nos. 231 to 460	72-738				

-

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	739-752
	IDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS PUBLIC DISTRIBUTION 20 th and 21 st Reports	753
STAN AFFA	IDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN	
	13 th Report	754
	IDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, DREN, YOUTH AND SPORTS 341 th Report	754
	541 Report	754
BUSI	NESS ADVISORY COMMITTEE 34 th Report	755
MATI	TERS UNDER RULE 377	756-779
(i)	Need to provide stoppage of various trains at Tilhar Railway Station in Shahjahanpur, Uttar Pradesh and also improve railway facilities at the station	
	Shri Arun Kumar Sagar	756-757
(ii)	Regarding setting up of packaging house or an office for promotion of export in Gorakhpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh Shri Ravi Kishan	758
(iii)	Regarding alleged embezzlement of money deposited by customers in Punjab National Bank located in village Chohilanwali, Hanumangarh district, Rajasthan	
	Shri Nihal Chand Chouhan	759

(iv)	Regarding construction of sewage treatment plants in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Mukesh Rajput	760
(v)	Regarding condition of government schools in Delhi	
	Shri Manoj Tiwari	761
(vi)	Need to extend the proposed Junagarh- Nabrangpur railway line upto Dharamgarh in Odisha	
	Shri Basanta Kumar Panda	762
(vii)	Need to set up branches of nationalized banks in Bhandara-Gondiya Parliamentary Constituency in Maharashtra Shri Sunil Baburao Mendhe	763
	Julia Babarao Menane	. 00
(viii)	Regarding Delhi-Nagpur Industrial Corridor Route	
	Dr. Dhal Singh Bisen	764
(ix)	Need for electrification of villages in tribal inhabited areas in Ratlam Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh Er. Guman Singh Damor	765
(x)	Regarding development of Hadapsar Railway Station	
	Shri Girish Bhalchandra Bapat	766-767

(xi)	Regarding plight of Ukraine returnee medical students	
	Dr. Shashi Tharoor	768
(xii)	Regarding alleged discrimination of LGBTQIA community members	
	Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian	769-770
(xiii)	Regarding withdrawal of train services and fare concession	
	Shri D.M. Kathir Anand	771
(xiv)	Regarding extension of GST compensation of States	
	Prof. Sougata Ray	772
(xv)	Regarding release of performance grants for Urban Local Bodies in Maharashtra	
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	773
(xvi)	Regarding setting up of Institute of Rural Management in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Dulal Chandra Goswami	774
(xvii)	Regarding selection of states under PM Mitra Scheme	
	Shri Chandra Sekhar Sahu	775
(xviii)	Regarding caste census	
	Shri Shyam Singh Yadav	776

(XIX)	Regarding reforms in the implementation of			
	Crop Insurance Scheme			
	Shri Manne Srinivas Reddy	777		
(xx)	Regarding Agnipath Scheme			
	Adv. A. M. Ariff			
(xxi)	Regarding registration of foreign medical	779		
	graduates in State Medical Council			
	Shri N.K. Premachandran			

*ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

*ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

_

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

	$\mathbf{\cap}$	V	Q V	D	ᆸᄼ	ח	Λ.	ΓES
_	··	r	JH			L	\sim	ı EJ

LOK SABHA

Tuesday, July 19, 2022/Ashadha 28, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANASWERS TO QUESTIONS

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

... (<u>व्यवधान</u>)

11.01 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Dr. Saugata Ray, Dr. DNV Senthilkumar S. and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, श्री के. जी. माधव जी ।

... (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 21)

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV: Sir, in his written reply to my Question, the hon. Minister has said that the tenant holdings constituted 17.3 per cent of the total holdings in the country during 2018-19 ... (*Interruptions*)

In this regard, my first Supplementary is as follows. The tenant farmers are highly vulnerable to adverse climatic conditions since they can be evicted due to non-payment of rent to the land owners. ... (*Interruptions*)

So, what measures is the Government taking for encouraging more and more such agricultural tenants to enter the insurance net` under the PM Fasal Bima Yojana?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने फसल बीमा और टेनेंट फार्मर्स के संबंध में प्रश्न किया है।... (व्यवधान) सरकार की ओर से यह विशेष योजना है कि फसल बीमा योजना के अंदर उनको इन्क्लूड किया गया है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की जब से सरकार बनी. तब से यह विजन है कि किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छी

सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, उनको इंश्योरेंस मिले और उन किसानों को लोन भी मिले। इस दृष्टि से, चाहे वे टेनेंटेड किसान हों या अन्य किसान हों, सभी किसानों को इस योजना के अंदर जोड़ा गया है।... (व्यवधान) विशेषकर जो फसल बीमा की बात कही गई, तो इसके अंदर ऐसे किसान जो जमीन को बटाई पर लेते हैं, उन किसानों के लिए जो टेनेंट फार्मर्स हैं, अगर वे फसल बीमा योजना के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर आते हैं, तो उन किसानों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है।... (व्यवधान)

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV: Sir, 'let me ask my second Supplementary. In the year 2016, the NITI Aayog came up with an Expert Committee Report on a Model Agricultural Land Leasing Law. They have also suggested various reforms with respect to legalisation of land leasing, recording of the same, regulation on rent among others ... (Interruptions)

What measures has the Government taken for implementation of these suggestions? ... (Interruptions)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में भारत सरकार एक मॉडल एक्ट लाई थी। उस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था, उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया गया और कुछ राज्यों ने उसे एडॉप्ट भी किया है।

कृषि राज्य का विषय होता है, इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, किसानों को कैसे सुरक्षा मिले, ... (व्यवधान) इसके साथ ही उनके पट्टे को वैध कैसे माना जाए, इस दृष्टि से मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है। उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी कृषि के लिए अपना एक्ट बनाया है,... (व्यवधान) ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए, ऐसे किसान जिनके साथ अन्याय होता है, उन किसानों को न्याय मिले, ... (व्यवधान) इसके लिए यह एक एक्ट है। ... (व्यवधान) मॉडल एक्ट बनाकर राज्य सरकारों को दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री मद्दीला गुरुमूर्ति ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Hon. Speaker, Sir, absence of transparency in tie-ups with landlords makes them pay exorbitant and unreasonable pay-outs in cash and kind. In most of the cases, it is 50 per cent of the produce. ... (*Interruptions*) I would like to know as to what measures the Government is taking to curb such exploitation by the landlords. ... (*Interruptions*)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान जिनके फसल बोने के बाद उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है, वह कानून के अंदर आते हैं और कानून के दायरे में अगर वह जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको संरक्षण मिलता है। उसके लिए जो भूमि स्वामी है, जब वह पहले एग्रीमेंट करता है ... (व्यवधान) उस समय जो उसकी शर्तें हैं, उसके आधार पर अगर राज्य का एक्ट है और उसके अंदर वह न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी मिलता है।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल।

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है और उनकी अपनी योजनाएं हैं, ... (व्यवधान) लेकिन उसका स्टैन्डर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाकर या बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर राज्य में लागू हो? क्या इसके बारे में सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने फसल बीमा योजना के बारे में प्रश्न किया है, वैसे जो नई फसल बीमा योजना बनी है, ... (व्यवधान) इसे सभी राज्यों से राय लेकर ही बनाया गया था। ... (व्यवधान) अभी भी हमारे यहां पर मीटिंग हुई थी। ... (व्यवधान) जिसमें

देश भर के सभी कृषि मंत्रियों की बेंगलुरू में मीटिंग हुई थी, इस विषय पर भी चर्चा हुई थी। उसमें कृषि मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि आप फसल बीमा योजना को लागू करें। वैसे राज्य फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश पहले इस योजना से बाहर हो गया था, लेकिन अब एक साल बाद उन्होंने पुन: इसे एडॉप्ट किया है। इस तरह नई फसल बीमा योजना को लेकर राज्य सरकार से हम निश्चित रूप से संपर्क में हैं। उनसे इस बात पर चर्चा और मीटिंग होती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.एन. अन्नादुरई

श्री गजानन कीर्तिकर

श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम

श्री मलूक नागर

(Q. 22)

... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर गन्ने का रेट बढ़ाने की बात आती है, सरकार ने इसे थोड़ा सा बढ़ाया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन देश में ऐसा कोई भी नहीं है, जहां गन्ने की पेमेंट रुकी हुई है और उस पर ब्याज नहीं मिलता है। ... (व्यवधान)

इसी से दूसरी जुड़ी हुई चीज के बारे में कह रहा हूं, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बागपत लोक सभा, मेरठ लोक सभा, मुजफ्फरनगर लोक सभा, सहारनपुर लोक सभा, बिजनौर लोक सभा, नगीना लोक सभा, गाजियाबाद लोक सभा, अमरोहा लोक सभा, मेरठ में आर एंड डी रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं?... (<u>व्यवधान</u>)

श्री पशुपति कुमार पारस: इस पर विचार किया जाएगा।... (व्यवधान)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA: A Centre for Excellence at an expenditure of Rs. 10 crore in non-thermal processing was recently inaugurated at the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur with an aim to promote next generation technology and also meet global standards in research and academics in the field of food processing. ... (Interruptions). Does the Government propose to establish any such centre in the State of Andhra Pradesh? ... (Interruptions)

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे सुनाई दे रही है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री पशुपित कुमार पारस: महोदय, तिमलनाड़ु में स्वीकृत परियोजनाएं 81 हैं, जिनमें मेगा फूड पार्क एक है, कोल्ड चेन 16 हैं, मिनी फूड पार्क 11 हैं, शील्डिंग स्कीम 24 हैं, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजेज सृजन स्कीम 9 हैं, ... (व्यवधान) आप्रेशन ग्रीन्स है, ... (व्यवधान) इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1323 करोड़ रुपये है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपये है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 23

श्री दीपक बैज।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं पूछना चाहते, तिख्तयां लेकर आ रहे हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: दादा, नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: दादा, आप नियम की किताब इनको पढ़वाओ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: नियमों की किताब में नियम 349 के तहत सदन के अंदर तिख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। यह परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन में उच्च मर्यादाओं का पालन करें, अच्छी परंपराओं का पालन करें। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों और समर्थन मूल्य के बारे में लगाया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप बाहर जाकर किसानों की बात करते हैं और सदन में किसानों की बात नहीं करते हैं। बाहर जाकर महंगाई की बात करते हैं, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते हैं। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई पर चर्चा करने के लिए एलाऊ किया था, आपने उस पर चर्चा नहीं की। यह उचित नहीं है। यह गलत तरीका है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय और अवसर देता हूं।

... (<u>व्यवधान</u>)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 23 to 40 Unstarred Question Nos. 231 to 460)

(Page no. 23-738)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha then re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

... (<u>व्यवधान</u>)

14.0½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर- 2, श्री कृष्ण पाल जी ।

... (व्यवधान)

14.03/4 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri P.R. Natarajan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7107/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा उक की उप-धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1883(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल में स्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए प्रमुख आव्रजन अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को 20 अप्रैल, 2022 से ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7108/17/22]

(2) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1884(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7109/17/22]

- (3) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।
 - (दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7110/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 [Placed in Library, See No. LT 7111/17/22]
- (2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 153 (अ), जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पदार्थों को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7112/17/22]

... (<u>व्यवधान</u>)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): सभापित महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7113/17/22]

- (3) (एक) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7114/17/22]

- (5) (एक) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7115/17/22]

- (7) (एक) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7116/17/22]

- (9) (एक) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7117/17/22]

(11) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7118/17/22]

- (13) (एक) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7119/17/22]

- (15) (एक) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7120/17/22]

(17) (एक) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7121/17/22]

- (19) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रिक्टव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रिक्टव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7122/17/22]

- (21) (एक) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7123/17/22]

(23) (एक) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7124/17/22]

- (25) (एक) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7125/17/22]

- (27) (एक) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7126/17/22]

(29) (एक) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7127/17/22]

- (31) (एक) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्संस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्संस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7128/17/22]

- (33) (एक) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7129/17/22]

- (35) (एक) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7130/17/22]

- (37) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7131/17/22]

(39) (एक) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7132/17/22]

- (41) (एक) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7133/17/22]

- (43) (एक) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7134/17/22]

(45) (एक) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7135/17/22]

- (47) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7136/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Broadcast Engineering Consultants India Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7137/17/22]

(2) A copy of the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.216(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2022 under Section 26 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 7138/17/22]

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7139/17/22]

- (3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7140/17/22]

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

20th and 21st Reports

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2021-2022):-

- (1) Twentieth Report on the subject- "Quality Control Cells (QCCs)" of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).
- (2) Twenty-first Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the Thirteenth Report of the Committee (Seventeenth Lok Sabha) on the subject- "Procurement, Storage and Distribution of Foodgrains by Food Corporation of India" of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

14.04 ½hrs

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS 13th Report

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to present the Thirteenth Report* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject, 'Implementation of Metro Rail Projects - An Appraisal'.

14.04¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 341st Report

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं 'मानद/निजी विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, शोध, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक परिवेश की समीक्षा' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 341वां प्रतिवेदन[#] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Item no.11A - Shri Arjun Ram Meghwal ji.

....(Interruptions)

^{*} The Thirteenth Report was presented to Hon'ble Speaker on 9th May, 2022 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha because this Report could not be presented on 7th April, 2022 as Lok Sabha adjourned sine die on that day. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

^{*} The Report was presented to the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 4th July, 2022 and forwarded to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on the same day.

14.05 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 34th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I rise to present the 34th Report of the Business Advisory Committee.

....(Interruptions)

14.051/2 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएं। ...(<u>व्यवधान</u>)

(i) Need to provide stoppage of various trains at Tilhar Railway
Station in Shahjahanpur, Uttar Pradesh and also improve railway
facilities at the station

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर (उ०प्र०) की तहसील तिलहर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव होना नितान्त आवश्यक है एवं साथ ही तिलहर रेलवे स्टेशन पर जनहित में निम्नलिखित मूलभूत कार्य कराये जाने भी अति आवश्यक है:

- ट्रेन संख्या 14207 प्रतापगढ़- पुरानी दिल्ली पदमावत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
- 2. ट्रेन संख्या 14208 पुरानी दिल्ली- प्रतापगढ़ पदमावत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराब (स्टॉपेज) दिया जाए।
- 3. ट्रेन संख्या 14369 सिंगरौली-बरेली त्रिवेणी एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
- 4. ट्रेन संख्या 14370 बरेली-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
- 5. तिलहर रेलवे स्टेशन की डभीरा क्रासिंग पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होना।
- 6. तिलहर रेलवे स्टेशन पर कोच गाइडेंस सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- 7. रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर पीने योग्य पानी हेतु वाटर कूलर लगवाए जाएं तथा यात्री शेड की व्यवस्था की जाए।
- 8. रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर फर्श का पुननिर्माण कराया जाए।
- 9. रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए एक अतिरिक्त फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य ।

-

^{*} Treated as laid on the Table.

10. रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण का कार्य, बैठने हेतु सीटों की व्यवस्था, उचित लाइटों की व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में तिलहर रेलवे पर उपरोक्त ट्रेनों के ठहराव एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए। धन्यवाद सहित।

(ii) Regarding setting up of packaging house or an office for promotion of export in Gorakhpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रिव किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान भाइयों की आय मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के किसान कई दशकों से व्यापक स्तर पर फल सब्जी और फूलों की खेती करते आ रहे हैं परंत् पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण यहां के किसानों ने अपनी मूल खेती करना छोड़ दिया था, परंतु केंद्र में परम आदरणीय मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के आने के बाद किसानों में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और सरकार का भरपूर सहयोग मिला जिससे यहां के किसान भाइयों ने एक बार फिर अपनी मूल खेती की ओर लौट आए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में खासतौर से देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज मऊ आदि में सब्जी की खेती बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और यह क्षेत्र सब्जी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। स्थानीय स्तर पर सब्जी उत्पादकों को कोई पैकेजिंग हाउस या केंद्र द्वारा उनकी ख़रीद के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है जिसके कारण किसान सब्जियों को स्थानीय बाजारों तक ही भेज पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा कोई पैकेजिंग हाउस या निर्यात को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलें. जिससे कि इस क्षेत्र के सब्जी और फल उत्पादों का निर्यात विदेशों में हो सकें जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो तथा परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की दोगुनी आय करने का सपना पूरा हो सके।

(iii) Regarding alleged embezzlement of money deposited by customers in Punjab National Bank located in village Chohilanwali, Hanumangarh district, Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ के ग्राम चोहिलांवाली के पीड़ित किसानों और मजदूरों के साथ इसी गाँव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के मैनेजर और कर्मचारियों के कथित रूप से करोड़ो रुपयों की राशि के हिसाब किताब में अनियमितताएँ पाई गई है। उक्त बैंक में ग्राम चोहिलांवाली के लगभग 200-250 किसानों व मजदूरों के KCC खाते खुले हुए थे, जिनमें से ज्यादातर किसान, गरीब, मजदूर, अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे है। इसी बात का फायदा उठाकर कथित रूप से बैंक के मेनेजर और कुछ कर्मचारियों ने विड्रोल व चेक पर नकली साइन करके नगद पैसा निकाला गया। बहुत से किसानों को KCC लिमिट के ब्याज भरने के बहाने बैंक बुलाया गया और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर नगद रूपये ले लिए गए। इसके बाद उन गरीब लोगों को कथित रूप से नकली रसीद दे दी गई। इस प्रकार इन कर्मचारियों के द्वारा लगभग 10-12 करोड़ रूपए का गबन किया गया है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इन पीड़ित किसानों की विषम मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस विषय में उचित व निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही करें और पीड़ितों के गबन की राशि वापिस दिलवाई जाए।

19.07.2022

(iv) Regarding construction of sewage treatment plants in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): हमारे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में पितत पावनी गंगा नदी लगभग 100 किमी के क्षेत्र में बहती है जिसके तट पर तीन नगरपंचायत- किम्पल, नबावगंज और शमशाबाद एवं दो नगर पालिकाएं कायमगंज और फर्रुखाबाद स्थित है। इसके अतिरिक्त सामरिक महत्त्व की छावनी फतेहगढ़ परिषद भी स्थित है। परन्तु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सभी नगरों का गन्दा पानी पिवत्र गंगा जी में सीधे प्रवाहित हो रहा है। 2016 में फर्रुखाबाद शहर गंगा तट पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नमामि गंगे परियोजना से स्वीकृत हुए थे परन्तु आज तक उन पर काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतः माननीय जल शक्ति मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाये रखने के लिए किम्पल, शमशाबाद, फर्रुखाबाद, कायमगंज तथा कमालगंज नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना अविलम्ब करानें का कष्ट करें।

(v) Regarding condition of government schools in Delhi

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र और दिल्ली के तमाम उन सरकारी विद्यालयों की घोर अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं जहां जर्जर भवनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालयों में मैं स्वयं गया जहां व्यवस्था के नाम पर घोर अव्यवस्था पाई गई, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर विद्यालयों की व्यवस्था कारागार जैसी है जहां कहीं खुले आसमान के नीचे तो कहीं टीम सेट में अनियमित रूप से बच्चों की भारी भीड़ को बैठाया जाता है और हर दिन हर पल बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल कर अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा की आस में पढ़ने को मजबूर है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऐसे कई विद्यालयों को नोटिस देकर रिपोर्ट भी तलब की गई है और कार्यवाई करने का आदेश भी दिया गया है लेकिन उचित कार्रवाई दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अतः मैं नियम 377 के अधीन माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी बनाकर दिल्ली के बदहाल स्कूलों की व्यवस्था की जांच कराई जाए और दोषी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं िक केंद्रीय सहायता से दिल्ली में नए विद्यालय बनाए जायें जिससे बच्चों को अच्छी और सुरक्षित शिक्षा मिल सके।

(vi) Need to extend the proposed Junagarh-Nabrangpur railway line upto Dharamgarh in Odisha

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी है, जिसमें दो जिले नवापाड़ा और कालाहांडी आते है और दोनों ही जिले माननीय मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्षों से लंबित प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर' जिसकी फाइनल लोकेशन के लिए 2.9 करोड़ रू. मंजूर किया गया है। यदि प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर' को 10 किमी. धरमगढ़ तक विस्तार किया जाएगा, तो एक सबडिविजन मुख्यालय धरमगढ़ स्थायी रूप से रेलवे लाइन जुड़ जाएगा। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। क्योंकि जूनागढ़ से धरमगढ़ की दूरी सिर्फ 18 किमी. है। धरमगढ़ एक सब- डिविजनल हेड कार्टर है। दोनों जिले के लोग धरमगढ़ पर निर्भर करते है। लेकिन साधन की असुविधा होने के कारण जिलावासियों को धरमगढ़ के लिए यात्रा करने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलावासियों में बड़ी नाराजगी है जिसके लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर'को 10 किमी. धरमगढ़ तक विस्तार किया जाए जिससे सबडिविजन मुख्यालय धरमगढ़ स्थायी रूप से रेलवे लाइन से जुड़ जाए तथा वहां के लोगों को आवागमन में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

(vii) Need to set up branches of nationalized banks in Bhandara-Gondiya Parliamentary Constituency in Maharashtra

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): मेरे लोकसभा क्षेत्र भंडारा-गोंदिया के कुछ क्षेत्रों में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है। ग्रामीणों, व्यापारियों तथा छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों के डिजिटल कार्य प्रणाली के कारण कुछ मौजूदा शाखाओं में भारी मात्रा में भीड़ होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि भंडारा क्षेत्र के कोंढा, तह-पवनी, पिंपलगांव तह-लाखनी, करडी तह-मोहाडी में तथा गोंदिया क्षेत्र के दासगाव, आसोली, दवनीवाडा तह- गोंदिया, वडेगाव तह-तिरोडा सौंदड तह-सड़क अर्जुनी और माहगाव तह-अर्जुनी मोर क्षेत्रों में लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओ को खोलने के सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग को जरूरी दिशा- निर्देश देने की कृपा करें।

धन्यवाद ।

(viii) Regarding Delhi-Nagpur Industrial Corridor Route

डॉ. ढालिसंह विसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा दिल्ली नागपुर इंडिस्ट्रियल कॉरीडोर बनाया जाना है इस कॉरिडोर का 70 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश से होकर गुजरेगा। यह कॉरीडोर दिल्ली से सागर नरिसंहपुर सिवनी होकर नागपुर बनाया जाना प्रस्तावित है। किंतु जानकारी है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसमें परिवर्तन कर नागपुर से बैतूल भोपाल सागर के रास्ते दिल्ली तक बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। उल्लेखनीय है कि पहले से प्रस्तावित रूट को दिल्ली से सागर तक यथावत् रख आगे विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल तथा नागपुर तक रूट में परिवर्तन का प्रस्ताव है। जबिक इसको परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व प्रस्तावित रूट जो कि एन.एच. 44 है, जो पूर्व से ही 4 लेन मार्ग है और यह मार्ग सागर से नरिसंहपुर, लखनादौन, सिवनी तथा नागपुर से कन्याकुमारी तक जाता है। यदि यह कारीडोर सागर से नरिसंहपुर, सिवनी की जनता को सिवनी में ही रोजगार मिलता जिससे कि इन पिछड़े जिलों का विकास होगा। इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के इस रूट के बनने से नजदीकी जिले जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा मण्डला को लाभ होगा इसिलए आपसे आग्रह है कि दिल्ली नागपुर इंडिस्ट्रयल कॉरीडोर के निर्माण के प्रस्ताव को परिवर्तित न कर इसे पूर्वानुसार बनाया जाए।

(ix) Need for electrification of villages in tribal inhabited areas in Ratlam Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरा लोकसभा क्षेत्र रतलाम (मध्य प्रदेश) के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रिड सेपरेसन नहीं होने तथा अधिकांश मजरे/पारे/फलियों में विद्युतिकरण नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्धता की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या रबी की फसल के समय और ज्यादा गंभीर हो जाती है। पानी की उपलब्धता होने के बावजूद रबी की फसल मात्र इसलिए नहीं ली जा पाती है, क्योंकि विद्युत की उपलब्धता नहीं है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की यह सबसे बड़ी समस्या है। अनुरोध है कि इस समस्या के निराकरण हेत उचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(x) Regarding development of Hadapsar Railway Station

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): As the passenger footfall is increasing and number of train operations have increased in the last few years, running operations from the Pune railway station are not possible. There are about 150 long-distance trains operating from Pune Junction. Some of these can originate and terminate at Hadapsar which will reduce load on Pune Junction.

There are four platforms at the Hadapsar railway station and one foot overbridge for passengers. Central Railway is slowly shifting some of the train operations to Hadapsar to decongest Pune Railway Station. Currently, Hadapsar to Hyderabad daily special train runs from Hadapsar Railway Station.

Presently, passengers of trains terminating at Hadapsar Railway Station do not get transport for onward journey due to the lack of access facilities to Hadapsar Railway Station. There is an urgent need to increase parking space, approach roads to the station, station building, reservation centre, waiting rooms and passenger lounges.

Approximately ₹ 400 crores are required for land acquisition and ₹ 350 crores are required for actual development.

Therefore, I would like to request the Hon'ble Minister that immediate steps be taken to provide required funds for the development of Hadapsar

railway station as terminus so that Pune Junction Station could be decongested.

(xi) Regarding plight of Ukraine returnee medical students

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Health and Family Welfare towards the plight of Indian medical students, many belonging to my home state of Kerala, whose education has been interrupted due to the ongoing war in Ukraine. In March 2022, the Russian invasion of Ukraine forced over 18,000 Indian students, primarily pursuing medicine, to flee the country. The high cost of private medical education in our country and elsewhere has made resumption of study difficult for most of these students who hail from humble backgrounds. It is, therefore, essential to identify alternate means through which these students can complete their medical education, either in neighbouring European countries or through arrangements in India (as in Egypt where students can take evaluation exams to join medical colleges in that country). The State Government of West Bengal, too, has admitted around 422 statedomiciled students, who were studying in Ukraine, to its private and government colleges. I, therefore, urge the Minister to devise and implement constructive measures to address the pressing concerns of our students, at the earliest, in the interest of their future and that of the health of the people of our country.

(xii) Regarding alleged discrimination of LGBTQIA community members

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Globally, LGBTQIA+ community members have been subjected to brutal discrimination in education, health and employment. In India, more recently, bullying while questioning the sexual identity of a school student made him commit suicide. Such cases are on rise and needs to be seen as cases of institutional murder.

Considering this harsh reality, the Union Govt should have come up with laws against such violent discrimination. On the contrary, 3 crucial legislations have been passed in the Parliament which curtail the rights of LGBTQIA+ persons. I urge the government to withdraw the sections which are anti-LGBTQIA+ in these three legislations which includes the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Medical Terminal of Pregnancy (Amendment) Act, 2021.

The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 currently allows only heterosexual couples for surrogacy. I urge the government to amend this clause and include LGBTQIA+ individuals or couples to have the right to have a child under this Act. Further, I request the Government to make LGBTQIA+ couples eligible for availing the ART treatment under the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021. Both the laws together currently prevent LGBTQIA+ couples from becoming parents in India. Also, the Union Govt. should immediately expand the definition of "women" to include transgender

and intersex persons who might need the access to abortions under the Medical Terminal of Pregnancy (Amendment) Act, 2021. Apart from the above-mentioned specific demands, I urge the Union Government also to provide redressal of problems of LGBTQIA+ persons in jobs, housing bias, care for elder LGBTQIA+ persons and representation and inclusion in public spaces.

(xiii) Regarding withdrawal of train services and fare concession

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Railways is the life line of the people of the country especially the poor and downtrodden who depend on railways for their travel. The Railways had withdrawn train Services and Cancelled the fare Concession for Senior Citizens and differently abled persons since the Covid 19 lockdown from March 2020. Indian Railways provide concession in ticket fare for 53 Category of people like Senior citizens, Differently-abled persons, Medal winning Sports personalites, Cancer Patients, Journalists. Women above 58 years and Men above 60 years were given 50% and 40% Concession respectively. Freedom fighters are honoured and were given 100% concession. Sir, full restoration of train Services are yet to happen even after one year, since the government imposed lockdown. To add more woes, the Government is running 70% of trains as Special trains with higher fares. Poor Passengers have to spend more money for their travel by train even for short distances. unfortunately the government did not bother to restore the fare concession. This has burdened the eldery persons and physically challenged persons very badly. To make things worse, the Railways is keen on introducing Private players in train Services with many fold increase in ticket fares. This is rubbing salt on the wound of common people.

(xiv) Regarding extension of GST compensation of states

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): A large number of states are urging the Centre to continue the GST Compensation paid to them for the first five years of the GST regime up to 2027 as revenue flows have been severely hit by the pandemic. Various State governments are debt-ridden and facing financial stringency to meet the revenue for new welfare schemes as well as development works. The matter of compensation paid to states for revenue loss from the implementation of the goods and services tax (GST) was to be taken up by the GST Council, the highest decision-making body of the indirect tax regime, however, it did not take any decision at its last meeting held at Chandigarh. A final decision is likely to be taken in the next GST council meeting scheduled to be held in first week of August, 2022. When a nationwide GST subsumed 17 central and state levies from July 1, 2017, it was decided that states will be compensated for any loss of revenue from the new tax for five years. That time-frame is over on 30th June, 2022. With two years being lost in the pandemic, states have sought an extension of this compensation period by five more years. I request the Centre to extend the GST Compensation upto June, 2027.

(xv) Regarding release of performance grants for Urban Local Bodies in Maharashtra

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): The proposal of Maharashtra Government for release of Performance Grants for Urban Local Bodies (ULBs) for 2018-19 and 2019-20 under the 14th Finance Commission is pending with the Ministry of Finance, Govt. of India. The State Govt. had submitted all utilization certificates and requested the Central Government for release of Performance Grants for 2018-19 and 2019-20 under the 14th Finance Commission. The Ministry of Urban Affairs, Govt. of India has already recommended release of Performance Grants for Maharashtra ULBs for the year 2018-19 (Rs. 625.63 Cr.) and for the year 2019-20 (Rs. 819.21 Cr.) However, this issue is still pending with the Ministry of Finance, Govt. of India. I, therefore, earnestly request the Hon'ble Minister of Finance, Govt. of India that Performance Grants of Rs. 625.63 Cr. against 2018-19 and Rs. 819.21 Cr. against 2019-20 for ULBs in Maharashtra may kindly be released to the State Government at the earliest.

(xvi) Regarding setting up of Institute of Rural Management in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (किटहार): बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि, डेयरी एंव मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभवानाओं के साथ-साथ जहाँ एक ओर पूर्वी एंव उत्तरी बिहार जूट, मखाना और मक्का के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण एंव सहकारिता को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी एनडीए की सरकार सहकारिता पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रही है और सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित डा० वर्गीज कुरिजन साहब द्वारा स्थापित इन्स्टीटयूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट, आनन्द (इरमा) गुजरात कोपरेटिव मिल्क फेडरेशन एंव अमूल डेयरी जैसी महान संस्थाएं देश के लिए बहुत बड़ी देन है जिसके कारण करोड़ो लोगों को इसका फायदा मिला है। मैं माननीय गृह एंव सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इरमा (आईआरएमए) गुजरात की तर्ज पर एक इन्स्टीटयूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट की स्थापना हमारे संसदीय क्षेत्र किटहार, बिहार में की जाए । इरमा की स्थापना होने से बिहार राज्य के सीमांचल में किटहार के उत्तरी और पूर्वी बिहार के किसानों में विकास एंव उन्नित की नयी संभावना पैदा होगी, जो जूट, मखाना और मक्का के उत्पादन के लिए मशहूर इस इलाके के करोड़ों किसानों, डेयरी एंव मत्स्य पालकों के जीवन में चहुँमुखी विकास करेगी।

(xvii) Regarding selection of states under PM Mitra Scheme

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (MITRA) scheme, sets to place India strongly on the global textile producers' map through infrastructure assistance for large scale textile production. The textile parks set up under PM MITRA scheme are approved on the basis of the proposals received by the state governments and selection of PM MITRA park is done in a two stage selection process on the challenge method from participating states. Odisha has participated in the challenge method of shortlisting states for construction of 7 PM MITRA parks across the country. Odisha Government had submitted the proposal on 11.03.2022 through letter no. 2288 of Industries Department to the Additional Secretary, Ministry of Textiles, Government of India. However, announcement has been made so far regarding the selection of States under the scheme. I request the Hon'ble Union Minister to finalise names of states selected under PM MITRA scheme at the earliest.

(xviii) Regarding caste census

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Since independence, The Registrar General and Census Commissioner has been collecting data related to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. The Kaka Kalelkar Commission, or the first Backward Classes Commission, and the Mandal Commission or the Second Backward Classes Commission depended on 1931 Census data for estimating the social, educational, and economic backwardness of the Other Backward Classes (OBCs). The social, educational, and economic data of various castes are crucial for evidence-based public policies. Hence, we need contemporary and reliable data on various castes to make decisions related to reservations and other social welfare policies. In this background, it becomes very important to conduct the Caste Census. I request that above mentioned important issue should be considered at the earliest.

(xix) Regarding reforms in the implementation of Crop Insurance Scheme

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to the kind notice of the Government that there is a need to undertake major reforms in the implementation of crop insurance scheme such as Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana. A majority of farmers are not interested in taking crop insurance scheme as they are not getting any benefits even after payment of the premiums which is a peculiar situation. Not even 15% of total farmers in the country are not included in the PMFBY. Crop Insurance Week being observed in the first week of July every year is also not helping farmers. Crop insurance companies need to set up their offices at mandal level to create more awareness among the farmers. The Centre has put 31st July for Kharif and 31st December for Rabi as last dates to register for crop insurance which is also a major drawback. Our State is ready to pay its share of 30% but the Centre is not agreeing. The said scheme is not scientific and we do not understand how the farmer will benefit if the area is taken as a unit in the insurance scheme. The Centre needs to implement farmer and farm-centric schemes that were recommended by experts like M.S. Swaminathan.

(xx) Regarding Agnipath Scheme

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): Youths, who were waiting for recruitment in the armed forces for the last three years, are reported to be angry over the recruitment policy under the Agnipath scheme. Agnipath scheme is intended to recruit soldiers for four years only, with no retirement benefits like pension and medical insurance. At the end of four years, when the recruitee would be relieved from the armed forces, they will not get any pensionary or medical benefits like ex-servicemen. Youths are questioning as to what will happen to their career after four years when there is so much unemployment in India. If a large number of youngsters with licenced weapons and no adequate source of livelihood are sent back to their villages, it will pose a security threat. It might pose severe law and order problem even if a small percentage of such youths take to crime just to fulfil their basic needs. What will happen if youths trained in handling of sophisticated weapons fall into the hands of some terror groups or radicalized organizations having ulterior agenda?. Hence, I urge the Central Govt to withdraw the Agnipath scheme and recruit soldiers on regular basis in Indian Army.

(xxi) Regarding the registration of foreign medical graduates in State Medical Council

PREMACHANDRAN (KOLLAM): SHRI N.K. The National Medical Commission stopped the registration of Foreign Medical Graduates in State Medical Council who passed Foreign Medical Graduates Examination in India. The registration was stopped on the ground that they had attended the last semester classes online. They attended the class online only due to Covid-19 protocol and restrictions. There was no other option due to Covid-19. The National Medical Commission failed to consider the Covid-19 situation and imposed ban for registration. The Supreme Court considered the matter and directed to formulate the scheme to protect the interest of Foreign Medical Graduates who passed examination as per the existing rules of medical commission. There is inordinate delay in formulating the scheme. The future of the students is in dark. Hence, I urge upon the Hon'ble Minister to formulate the scheme immediately for ensuring medical council registration at the earliest.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा के लिए है। आप सभी को गरिमापूर्ण चर्चा करनी है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कई सदस्य अपने विषय शून्य काल और नियम 377 में उठाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

14.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 20, 2022/Ashadha 29, 1944 (Saka)

<u>INTERNET</u>

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)